भारत में अब तक 14 आम चुनाव हो चुके हैं। ये सभी चुनाव सामान्यतया शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही चुनाव पद्धति और चुनावों में कुछ ऐसी बातें देखने में आयी हैं, जिन्होंने जनता की चुनावों में आस्था को कम किया है अथवा यदि उन्हें समय रहते नियन्त्रित नहीं किया गया, तो वे कालान्तर में चुनावों के प्रति आस्था को घ पहुंचा सकती हैं। चुनावों में काले धन, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की प्रवृतिया निरन्तर बढ़ रही हैं।

चुनावों से सम्बन्धित व्याधियों की विवेचना और चुनाव सुधार का विषय पिछले कुछ वर्षों से संसद और देश के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। सर्वप्रथम तारकुण्डे समिति ने चुनाव सुधारों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। 1990 में श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति ने चुनाव सुधारों पर अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 के अधिनियमन से समिति की अनेक सिफारिशें लागू हो गई हैं। वाजपेयी सरकार ने 1998 में सत्ता में आने के बाद दिनेश गोस्वामी समिति की कार्यान्वित नहीं हो पायी सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना शुरू किया। गृहमन्त्री की पहल पर उन प्रस्तावों पर नए सिरे से चर्चा करने के लिए 22 मई, 1998 को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी जिसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को राज्य निधिकरण उपलब्ध कराने के लिएठोस उपायों का सुझाव देने को कहा गया। इस समिति ने राजनीतिक दलों द्वारा लेखों के रख-रखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा करने, राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे पर प्रतिबन्ध लगाने, चुनाव व्यय सम्बन्धी प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में राजनीतिक दलों के खर्ची को शामिल करने तथा प्रत्येक आम चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार किया ।

विविध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव व्यवस्था की गम्भीर त्रुटियों और उन त्रुटियों के उपचार का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

1. राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गम्भीर अन्तर (Serious Disparity between People's Support to Political Parties and Number of Seats Gained) – भारत में साधारण बहुमत की जो निर्वाचन पद्धति अपनायी गयी है, उसके अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होता है जिसे सबसे अधिक मत मिले हों, चाहे विरोधी अथवा पराजित उम्मीदवारों को मिले मतों का योग उसे प्राप्त मतों से कितना ही अधिक हो । इसके परिणामस्वरूप बहुधा उस दल को सरकार बनाने अवसर मिल जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है

और छोटे दलों को उन्हें प्राप्त जन समर्थन की तुलना में बहुत ही कम स्थान प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि कांग्रेस जिसने प्रथम तीन आम चुनावों में 70 प्रतिशत से अधिक, चतुर्थ आम चुनाव में 54 प्रतिशत, 1971 में 68 प्रतिशत और 1980 में लगभग 64 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये, वह इनमें सेकिसी भी चुनाव में 50 प्रतिशत मत प्राप्त नहीं कर सकी थी। 1980 के लोकसभा चुनावों में एक विसंगति इस रूप में देखी गयी कि जनता पार्टी ने मतदाताओं के 19.94 प्रतिशत और जनता एस (लोकदल) ने 9.43 प्रतिशत मत प्राप्त किये, लेकिन जनता एस (भारतीय लोकदल) को जनता पार्टी की तुलना में 10 स्थान अधिक प्राप्त हुए। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 114 स्थानों के साथ 28.42% मत तथा भाजपा को 182 स्थानों के साथ 23 70% मत प्राप्त हुए। 2004 में सम्पन्न 14वीं लोकसभा के चुनावों में विभिन्न

दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत और उन्हें प्राप्त स्थानों से भी यह

बात नितान्त स्पष्ट है

राजनीतिक दल

इन्दिरा कांग्रेस

बहुजन समाज पार्टी

भारतीय जनता पार्टी

साम्यवादी दल मार्क्सवादी दल

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

प्राप्त मत क्रमशः

प्रतिशत

26.69

5.33

22.16

1.4 5.69

1.78

लोकसभा में

प्राप्त स्थान क्रमशः

145

19

138

10

43

9

लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस स्थिति को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अत निर्वाचन प्रणाली की इस असंगति को दूर करने के लिए कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव दिया जाता है। कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व जनसंघ ने इस समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी, उस समिति ने सुझाव दिया कि देश में चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली (List System) को अपनाया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक राजनीतिक दल को उसे प्राप्त जन समर्थन के आधार पर विधानमण्डल में स्थान प्राप्त हो सकें। जनसंघ के पूर्व भारतीय साम्यवादी दल के द्वारा भी इसी प्रकार सुझाव दिया गया था।

परन्तु उपर्युक्त सुझाव को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां हैं। सूची प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अन्य कोई रूप एक जटिल पद्धति है और भारतीय मतदाता इसका उचित रूप में प्रयोग कर सकें इसमें निश्चित रूप से सन्देह है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान समय में भी चुनाव आयोग के पास कुल मिलाकर 50 से अधिक राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो चुका है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के किसी भी रूप को अपनाने पर छोटे-छोटे राजनीतिक दलों में और अधिक वृद्धि होगी, जिसका परिणाम राजनीतिक अस्थिरता हो सकता है।

वस्तुत उपर्युक्त त्रुटि का उपचार चुनाव प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं वरन् राजनीतिक दलों की सुसंगति को अपनाकर 'राजनीतिक ध्रुवीकरण (Political Polarisation) की अर्थात् विचारधारा पर आधारित दो प्रमुख राजनीतिक दलों के अस्तित्वकी दिशा में आगे बढ़ना है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर उन दलों को मान्यता देता है, जिन्हें मतों का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त होता है,

किन्तु मान्यता न प्राप्त होने वाले राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इस कारण मान्यता प्राप्त होने या न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। व्यवहार में प्रत्येक चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉ. जे. डी. सेठी लिखते हैं, “भारत में जिन सुधारों की आवश्यकता है वे ये हैं कि निर्वाचन विधि तुरन्त ही यह उपबन्धित करे कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दलीय उम्मीदवार होना आवश्यक हो और सम्बन्धित दल का पंजीकरण आम चुनाव के कम से कम एक वर्ष पूर्व कराया जावे। यदि किसी दल को कुल दिये गये मतों का एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत–कह लीजिए लोकसभा में तीन प्रतिशत और राज्य विधानसभा में पांच प्रतिशत– प्राप्त नहीं हो, तो उस दल के प्रतिनिधित्व का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए।" यह कदम छोटे दलों को उनसे मिलते-जुलते बड़े दलों में मिलने के लिए प्रेरित करेगा और इससे राजनीतिक दलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।